दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

वार्ड क्रमांक 17 से 32 तक के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर में आंशिक संशोधन

न्याय साक्षी/रायगढ़। नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 17 से 32 तक के लिए नियुक्त सहायक रिटर्निंग आफिसर डिप्टी कलेक्टर दीपक कुमार निकुंज के स्थान पर तहसीलदार रायगढ़ को नियुक्त किया गया है।

धरमजयगढ़ पुलिस की जुआ रेड कार्यवाही में 05 जुआडी से 3500 रूपये की जप्ती

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना धरमजयगढ़ स्टाफ द्वारा दिनांक 04.09.19 को नीचेपारा धरमजयगढ दीपक बैरागी के घर के पास ताश पत्ती से जुआ खेल रहे जुआडी (1) रमेश सरकार पिता आन्नद सरकार उम्र 35 वर्ष सा. दुर्गापुर कालोनी (2) राम सरदार पिता प्राण सरदार उम्र 30 वर्ष सा. दुर्गापुर कालोनी (3) सुशील सरकार पिता सतीश सरकार उम्र 42 वर्ष सा. धरमजयगढ कालोनी (4) रविन्द्र हलदार पिता रोहिनी हलदार उम्र 34 वर्ष सा. दुर्गापुर कालोनी (5) दीपक बैरागी पिता विनोद बैरागी उम्र 35 वर्ष सा. दुर्गापुर कालोनी को पकड़े। आरोपियों के पास एवं फड से जुमला रकम 3700 रूपये , 52 पत्ती ताश एक प्लस्टिक का बोरी जप्त किया गया है।

सरिया पुलिस की अवैध शराब बिक्री की सूचना पर रेड कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। सरिया पुलिस द्वारा ग्राम बोंदा के निरंजन सिदार घर में अवैध रूप से बिक्री करने हेतु कच्ची महुआ शराब, अंग्रेजी व देशी शराब रखे होने की सूचना पर दिनांक 04/09/19 को स्टाफ द्वारा ग्राम बोंदा पहुंच कर गवाहों के समक्ष निरंजन सिदार को तलब कर पूछताछ किया गया। जिस पर निरंजन सिदार ने शराब रखना स्वीकार करते हुये 12 पाव अंग्रेजी गोवा व्हीसकी शराब, देशी प्लेन मदिरा व देशी मशाला 4-4 पाव तथा कच्ची महुआ शराब की 20 पाऊच (180एमएल वाली) पेश किया जिसे जप्त कर आरोपी निरंजन सिदार पिता संतोष सिदार के विरूद्ध धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

मोटर सायकल के डिक्की में रखे नगदी रकम चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना तमनार में शासकीय हाईस्कूल समकेरा के व्याख्याता विक्रम प्रसाद शर्मा पिता नरसिंह प्रसाद शर्मा उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम कोलम थाना तमनार द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 03/09/19 को घरेलू कार्य की आवश्यकता पर स्टेट बैंक शाखा जिंदल पावर लिमि0 तमनार से चेक के माध्यम से 113000/-रू (एक लाख तेरह हजार रूपये) आहरण किया था जिसे अपने मोटरसायकल के डिक्की में रखकर डिक्की को लॉक कर विकास खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यलय में खड़ा कर 05 मिनट के लिये कार्यालय अंदर गया। वापस आने पर गाडी का डिक्की खुला हुआ था डिक्की में रखी रकम 113000/-रूपये को काई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। चोरी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 170/19 धारा 379 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

आत्महत्या के लिये उत्प्रेरित करने के मामले में आरोपी की हुई गिरफ्तारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोसीर के मर्ग क्रमांक 15/19 धारा 174 जा.फौ. की मृतिका आरती टण्डन पति जनार्दन उम्र 20 वर्ष द्वारा घर कमरा अंदर म्यार में साडी दुपट्टा से फांसी लगाकर फौत होने की घटना की जांच पर मृतिका आरती के पति जनार्दन टण्डन पिता तिरीथ राम टण्डन निवासी ग्राम सिंघनपुर थाना कोसीर विरूद्ध मृतिका को प्रताडित एवं उत्प्रेरित करने से तंग आकर आत्महत्या करना पाये जाने पर अप.क्र. 96/19 धारा 306 भादंवि कायम कर विवेचना में लिया गया था। आज दिनांक 05.09.19 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

चक्रधरनगर पुलिस ने टारपाली में पकड़ा 10 लिटर महुआ शराब

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर के पेट्रोलिंग पार्टी के प्रधान आरक्षक लोमेश सिंह एवं आरक्षक सुशील यादव द्वारा टारपाली के रहने वाले शौकीलाल उरांव अवैध बिक्री के लिये महुआ शराब अपने बाडी में छिपाकर रखने की मुखबिर सूचना पर दबिश दिया गया। शराब रेड कार्यवाही में शौकीलाल के बाडी में 02 जरीकेन (05-05 लीटर वाली) में भरी हुई 10 लीटर महुआ शराब मिला जिसे जप्त कर आरोपी शौकी लाल उरांव आ. टीमन उरांव उम्र 46 वर्ष के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में अप.क्र. /19 धारा 31(1)क,59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

सट्टा लिखने वाले दो लोगों पर सारंगढ़ व चक्रधरनगर पुलिस ने की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। चक्रधरनगर पुलिस की सट्टा रेड कार्यवाही दौरान स्टाफ द्वारा दिनांक 04.09.19 को शाम करीब 16:30 बजे गोपालपुर कोरियादादर आटा चक्की के पास भवानी प्रसाद देवांगन पिता आनंद राम देवांगन उम्र 34 वर्ष साकिन ग्राम टारपाली थाना चक्रधरनगर को सट्टा खेलाते पकड़े, आरोपी के पास से 1705 रूपये व सट्टा-पट्टी जप्त किया गया है। वहीं सारंगढ स्टाफ द्वारा दिनांक 04.09.2019 को रानीसागर में गुरूप्रकाश कुर्रे अपने किराना दुकान में सट्टा खेलाने की सूचना पर रेड कर पकड़ा गया। आरोपी के पास से 1060 रूपये नगद व सट्टा-पट्टी बरामद किया गया है। आरोपी गुरूप्रकाश कुर्रे पिता टोपीराम कुर्रे उम्र 26 वर्ष ग्राम रानीसागर वार्ड क्रमांक 10 थाना सारंगढ के विरूद्ध 4(क) जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है।

ऋतु के पंडवानी, नेहा के कथक और रजत की बांसुरी ने जीता लोगों का दिल

» चक्रधर समारोह के चौथे दिन लोगों ने उठाया प्रस्तुतियों का आनंद

न्याय साक्षी/रायगढ़। चक्रधर समारोह में आज रामलीला मैदान में राज्य की प्रख्यात पंडवानी गायिका श्रीमती ऋतु वर्मा ने पंडवानी गायन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं लखनऊ घराने की कथक कलाकार श्रीमती नेहा बनर्जी की प्रस्तुति ने सभी का मनमोह लिया। प्रख्यात बांसुरी वादक रजत प्रसन्ना के बांसुरी वादन के सुमधुर तान ने भी लोगों की खूब तालियां बटोरी। रजत प्रसन्ना ने रामदुर्गा में बंदिश छंद-ताल, ध्रुव तीन ताल में छंद तथा वैष्णव जनते प्रस्तुत किया। नासिर खान एवं निंदर ने सूफी संगीत प्रस्तुत किया। पंडित राम सरगुजा की टीम ने शैला एवं बायर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी।

चक्रधर समारोह के चौथे दिन पंडवानी गायिका श्रीमती ऋतु वर्मा ने पंडवानी के माध्यम से महाभारत के प्रसंग लोगों को सुनाये। उन्होंने अपने कलाकारों के साथ वेदमति शैली में कृष्ण और अर्जुन के प्रसंग व्यक्त किए। मुम्बई से आयीं प्रख्यात कथक कलाकार श्रीमती नेहा बनर्जी ने एकताल, तीनताल और 21 चक्कर में प्रस्तुति देकर खुब तालियां बटोरीं। उन्होंने झन-झन झंकार बजत है के बोल पर और राधा-कृष्ण के रूठने-मनाने के प्रसंग पर सखी रे काहे कान्हा मोसे बोलत नाही पर कथक कर प्रस्तुति दी। उन्होंने राग मेघ मल्हार पर तराना के प्रस्तुति भी दी।

कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक प्रकाश नायक ने किया। इस अवसर पर सभापति सलीम नियारिया, जिला पंचायत सीईओ सुश्रृचा प्रकाश चौधरी, राज परिवार से सुउर्वशी देवी, अपर कलेक्टर सुखनाथ अहिरवार एवं आर.ए.कुरूवंशी सहित गणमान्य नागरिक एवं जनसामान्य उपस्थित रहे।

कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ आज

35 वां चक्रधर समारोह के अवसर पर उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल के मुख्य आतिथ्य में 7 सितम्बर को सायं 4 बजे से रामलीला मैदान, रायगढ़ में कुश्ती प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा।

इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष अजेश पुरूषोत्तम अग्रवाल करेंगे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम के सभापति सलीम नियारिया तथा जनपद अध्यक्ष रामकुमार भगत उपस्थित रहेंगे।

कथक रायगढ़ घराना एवं कवि सम्मेलन की होगी प्रस्तुति आज

35 वां चक्रधर समारोह के छठवें दिन 7 सितम्बर को बासंती वैष्णव एवं भूपेन्द्र बरेठ रायगढ़ घराना का कथक एवं देश के सुप्रसिद्ध कवियों द्वारा कवि सम्मेलन की प्रस्तुति होगी।

चक्रधरनगर पुलिस की जुआ रेड कार्यवाही में 13 जुआड़ी पकड़ाये

»आरोपियों से 59 हजार 640 रूपये नगदी व 10 मोबाईल सेट जप्त

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक युवराज तिवारी के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर प्रेमनगर मोहल्ला चक्रधरनगर में रोड किनारे स्ट्रीट लाईट के नीचे काट पत्ती नामक जुआ खेल रहे जुआडियान को घेराबंदी कर पकड़े। मौके पर जुआड़ियान (1) किशोर सावलानी पिता चन्द्रपाल सावलानी उम्र 20 वर्ष पता बैंक कालोनी बोईरदादर चक्रधरनगर, (2) मोहम्मद अंसारी पिता मोह. मुख्तार उम्र 45 वर्ष साकिन चांदनी चौक फारूकी गली थाना सिटी कोतवाली रायगढ, (3) आशु अग्रवाल पिता श्याम अग्रवाल उम्र 21 वर्ष साकिन रामनिवास टाकिज रोड रायगढ, (4) किर्ती पात्र पिता गोरख पात्र उम्र 35 वर्ष साकिन ढिमरापुर दीनदयाल कालोनी बुढी माई मंदिर के पास रायगढ, (5) शत्रुधन साहू पिता मंशाराम साहू उम्र 27 वर्ष साकिन कोतरारोड चुना भट्ठा के पास रायगढ, (6) शहजादा पिता मोह. खादिम उम्र 40 वर्ष साकिन राजापारा बाघ तालाब के पास रायगढ, (7) राम प्रसाद सारथी पिता फागुलाल सारथी उम्र 24 वर्ष साकिन दीनदयाल कालोनी ढिमरापुर रायगढ, (8) करण अग्रवाल पिता संजय अग्रवाल उम्र 20 वर्ष साकिन सिद्ध विनायक कालोनी इंदिरानगर रायगढ, (9) लोकेश शर्मा पिता स्व. नरेश शर्मा उम्र 27 वर्ष साकिन पुराना पुलिस लाईन के सामने गौशाला पारा रायगढ, (10) संजय माखिजा पिता उधम दास माखिजा उम्र 36 वर्ष साकिन बोईरदादर चौक रायगढ, (11) पुष्पेन्द्र सिंग पिता ललोहर सिंग राजपूत उम्र 45 वर्ष साकिन चक्रधरनगर स्टेडियम के पास रायगढ, (12) बबलू ठाकुर पिता भानु प्रताप ठाकुर उम्र 50 वर्ष साकिन गांजा चौक रामगुड़ीपारा रायगढ, (13) आशीष राठौर पिता राजेन्द्र राठौर उम्र 21 वर्ष साकिन पुराना पुलिस लाईन रायगढ पकड़े , जिनके फड़ एवं पास से जुमला नगदी रकम 59640 रूपये एवं आरोपियों के पास से 10 नग मोबाईल सेट एवं फड़ से 52 पत्ती तास जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि के लिए रायगढ़ जिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिले को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में उल्लेखनीय कार्य के लिए केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने रायगढ़ कलेक्टर यशवंत कुमार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि रायगढ़ जिले ने पिछले पांच वर्षो में जन्म आधारित लिंगानुपात में देशभर में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 के मध्य जन्म आधारित लिंगानुपात में रायगढ़ जिले का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत शासन द्वारा देशभर के 5 राज्यों एवं 10 चयनित जिलों को सम्मानित किया गया हैं, जिनमें से रायगढ़ एक है।

जिले में 930.2 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिले में 6 सितम्बर तक 930.2 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 25.4 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 1122.3 मिली मीटर, पुसौर में 1134.3, खरसिया में 739.9, सारंगढ़ में 826.8, बरमकेला में 920, घरघोड़ा में 926.2, तमनार में 867.1, लैलूंगा में 821.3 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 1013.8 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

हत्या के प्रकरण में दो आरोपियों को आजीवन कारावास का दंड

न्याय साक्षी/रायगढ़। माननीय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश आदित्य जोशी के न्यायालय में थाना चक्रधरनगर के हत्या के मामले में दो आरोपियों को धारा 302 में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।

जानकारी के अनुसार दिनांक 24.05.18 को ग्राम कोटमार के कोटवार भूपसिंह चौहान द्वारा गांव के दो व्यक्ति मनोहर राठिया एवं श्याम लाल यादव का हत्या हो जाने की सूचना ततकालीन थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अमित शुक्ला को दिया। टी.आई. शुक्ला मौके पर पहुंचे देखे की सपनई नहर किनारे बंशीनारा में नहर के मुहाने के पास एक सीमेन्ट के पाईप के अन्दर खून से लथपथ शव मनोहर राठिया का शव था जिसके सिर में धारदार हथियार से कटने के गम्भीर चोट दिखाई दे रहा था तथा सपनई नदी के पास शव श्याम लाल यादव का था। उसके पीठ के बांयी ओर लम्बा गहरा कटने का चोट था जो दोनों मृतकों के घर वाले बताये कि बीते शाम को करीब 06:30 बजे वे दोनों गांव से एक सायकल से कारीछापर गांव तरफ जा रहे बताये थे जो दोनों रात को घर वापस नहीं आये कि दोनों के शव को देखकर ऐसा लगता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से दोनों को गहरा चोट पहुंचा कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से अलग-अलग जगह शव को छिपा दिया गया है। शव पंचनामा कार्यवाही बाद थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 172/18 धारा 302, 201 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दरम्यान पाया गया कि घटना से लगभग 15-20 दिन पूर्व आरोपी माधव यादव एवं मृतक मनोहर के मध्य पैसे की लेन देने को लेकर लडाई झगड़ा हुआ था। आरोपी माधव के पास मनोहर को मारने का पर्यापत कारण था किन्तु घटना दिनांक को मनोहर के साथ श्यामलाल भी मौजूद था इसलिए आरोपी माधव ने अपने साथी अजय के साथ मिलकर दोनों की टांगी से मारकर हत्या कर दिया और शव को छिपा दिये।

माननीय न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत कई साक्षियों के कथन प्रतिपरीक्षण में अखंडनीय रहा व आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा मृतकों की हत्या कर शव को छुपाने का दोषी पाते हुए आरोपी माधव यादव पिता रूपलाल यादव उम्र 25 वर्ष निवासी कोटवार थाना चक्रधरनगर एवं आरोपी अजय यादव उर्फ कोंदा पिता वेदराम यादव उम्र 24 वर्ष निवासी कुंजेडबरी थाना सिटी कोतवाली को धारा 302/34 आईपीसी में आजीवन कारावास व रू. 1000 का दंड तथा धारा 201/34 आईपीसी के लिए 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं ?1000 का अर्थदंड से दंडित किया गया है।

पटवारी प्रशिक्षण के लिए 11 सितम्बर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित

न्याय साक्षी/रायगढ़। पटवारी प्रशिक्षण हेतु काऊसिलिंग में उपस्थिति पश्चात 60 अभ्यर्थियों की पात्र एवं अपात्र सूची को कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा कार्यालय रायगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है तथा जिले के वेबसाईट www. raigarh. gov. in में अपलोड किया गया है। अपात्र अभ्यर्थी 11 सितम्बर 2019 सायं 5.30 बजे तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है।

पति प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर दो युवती किया आत्महत्याः जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। जानकारी अनुसार थाना लैलूंगा अन्तर्गत ग्राम कुर्रा में रहने वाली संतोषी राठिया पति रोहित राठिया उम्र 30 साल को दिनांक 25/06/18 को आग से जलने पर के.जी.एच. अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराया गया था। ईलाज दौरान संतोषी राठिया फौत हो गई। घटना के संबंध में थाना कोतवाली से बिना नम्बरी मर्ग डायरी थाना लैलूंगा को प्राप्त होने पर दिनांक 16/08/18 को थाना लैलूंगा में मर्ग क्र0 61/19 धारा 174 जा0फौ0 कायम कर जांच में लिया गया, जांच में पाया गया कि मृतिका को उसका पति अक्सर मारपीट कर प्रताडित करता था तथा घटना दिनांक को भी लडाई झगडा कर मारपीट करने के लिये दौडा रहा था जिससे क्षुब्ध होकर संतोषी राठिया अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली। जांच पर आरोपी रोहित राठिया के विरूद्ध अपराध क्रमांक 190/19 धारा 306 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

वहीं एक अन्य मामले में दिनांक 06.02.19 को बिनोद कंवर पिता जंगी सिंह कंवर उम्र 46 वर्ष सा0 चोरंगा थाना लैलूंगा द्वारा थाने में इसकी बहु सरिता कंवर पति विसम्भर कंवर उम्र 19 वर्ष द्वारा चोरंगा पहरमुडा खेत आमपेड पर गले में गमछा से फंदा डालकर आत्महत्या कर ली है। मृतिका द्वारा शादी के 08-09 माह बाद फांसी लगाकर आत्महत्या करना पाये जाने पर कार्यपालिक दंडाधिकारी लैलूंगा द्वारा जांच पंचनामा कार्यवाही किया गया। घटना के संबंध में दर्ज मर्ग क्रमांक 09/19 धारा 174 जा0फौ0 की जांच में पाया गया कि मृतिका को उसके ससुराल वाले कहीं भी अकेले

आने जाने नहीं देते थे, पति पत्नि के मध्य संबंध ठीक नहीं थे मृतिका द्वारा आत्महत्या उसके पति से एक दिन पूर्व हुये विवाद को लेकर किया गया। जांच पर आरोपी विसम्भर कंवर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 190/19 धारा 306 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

अभिनव हाई स्कूल, जुटमिल में पुलिस रक्षा टीम का जागरूकता कार्यक्रम

न्याय साक्षी/रायगढ़। पुलिस महिला रक्षा टीम के सदस्यों के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ0 आर.पी. भैया जुटमिल चौकी अन्तर्गत स्थित अभिनव हाई स्कूल हीरानगर पहुंचे। कार्यक्रम में ए.एस.पी. डॉ0 भैया द्वारा बच्चों को पॉक्सो एक्ट, नये मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी दी गई तथा बच्चों को गुड-टच, बैड-टच की समझाईश देते हुये। अवांछनीय क्रियाकलापों का विरोध कर अपने माता पिता, शिक्षकों को बताने के लिये कहा गया। डॉ0 भैया ने बच्चों को बाल हितैषी थानों की जानकारी देते हुये बोले कि पुलिस हम सब की सहयता के लिये इससे डरने की आवश्यकता नहीं। आप बाल हितैषी थाने का भ्रमण कीजिए, पुलिस से दूरी नहीं बनाये। कार्यक्रम में महिला प्रधान आरक्षक मंजु मिश्रा द्वारा बच्चों को अपातकालिन हेल्प लाईन नम्बर डॉयल 112, 181, चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 के संबंध में बताया गया एवं मोबाईल के उपयोग में सावधानी बरतने को बोली।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480